## न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 29 / 2016 सत्रवाद संस्थिति दिनांक 20-01-2016

ेमध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म०प्र०। -----अभियोजन

#### बनाम

- रामस्वरूप कुशवाह पुत्र रामचरण कुशवाह, उम्र 65 वर्ष।
- बीरसिंह कुशवाह पुत्र रामस्वरूप कुशवाह, उम्र 38 वर्ष I
- राजेन्द्र कुशवाह पुत्र रामस्वरूप कुशवाह, उम्र 43 वर्षे ।
- WIND STREET PRESTOR STUTT बलवीर उर्फ बंटी पुत्र रामस्वरूप कुशवाह उम्र 24 वर्ष।
  - फूलसिंह कुशवाह पुत्र बीरसिंह कुशवाह, उम्र 19 5. वर्ष। समस्त निवासी ग्राम अन्नायच, थाना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० –

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० 1329/2015 इं०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 30/2016

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्तगण द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता।

//दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा २३२ दं.प्र.सं.//

//आज दिनांक 13-02-2017 को पारित किया गया//

आरोपीगण का विचारण धारा 147, 148, 326 बिकल्प में धारा 326 / 149, 324(दो काउंट) विकल्प में धारा 324 / 149(दो काउंट) भा द वि के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 25.12.2014 के 10:50 बजे ग्राम अन्नाचय में फरियादी के मकान के सामने थाना गोहद जिला भिण्ड में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जिसका समान्य उद्देश्य आहतगण सिरनाम, गुलाबसिंह, महेन्द्रसिंह, रामकृष्ण पर वल व हिंसा प्रयोग करने का था इस प्रकार उनके साथ मारपीट कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी

आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए घातक आयुध फर्सा, कुल्हाडी, लाठियों से सुसज्जित होकर जिनकों कि आकामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने से मृत्यु कारित होना संभाव्य है उनसे सुसज्जित होकर आहतगण पर वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत महेन्द्र को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की। बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण रामस्वरूप, बीरिसंह, राजेन्द्र बलवीर, फूलिसंह के साथ मिलकर आहत महेन्द्र को मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया जिसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आरोपीगण में से किसी ने आहत महेन्द्र को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत सिरनाम एवं गुलाबसिंह को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहअरोपीगण के साथ मिलकर आहत सिरनाम एवं गुलाबसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्ररण में कार्य करते हुए धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया उपहित कारित की।

- 02. प्रकरण में यह अविवादित है कि विचारण के दौरान फरियादीगण एवं आरोपीगण का राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को धारा 294, 323 विकल्प में धारा 323 / 149, 506बी भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 25.12.2014 को फरियादी सिरनाम कुशवाह के द्वारा घायल अवस्था में आहत रामिकशन, गुलाबसिंह व महेन्द्र सिंह जो कि ग्राम अन्नायच के रहने वाले है थाना गोहद में इस आशय की रिपोर्ट की कि उनके एवं आरोपीगण के घर आमने सामने है। उनके ताऊ की जमीन की रिजस्ट्री रामस्वरूप ने करा ली है जिस पर उसके द्वारा आपित लगाई तो इसी बात पर सुबह करीब 09 बजे रामस्वरूप लाठी, बीरसिंह कुल्हाडी, बलवीर उर्फ फर्सा, अशोक लाठी बलबीर लाठी व फूलसिंह लाठी लेकर आए और फरियादीगण को माँ बहन की गाली देते हुए उनकी मारपीट करने लगे जिससे फरियादी के दोनों पैरों में चोटें आई। फरियादी को बचाने उसके परिवार के लोग आए तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की जिससे महेन्द्र को फर्सा व लाठियों से मारपीट की जिससे उसके शरीर में चोटें आकर खून निकल आया। सभी लोगों ने फरियादीगण की लाठी, कुल्हाडी व फर्सा, डंडों से मारपीट की। आरोपीगण कह रहे थे कि खेतों की तरफ देखा तो जान से मार देगे।। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद में अप०क0 432 / 14 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 324, 506बी भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का मेडीकल परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण कराया गया जिस पर से 326, 325 भाठदं०वि० का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के

कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध धारा प्रथम दृष्टिया धारा 147, 148, 294, 323 विकल्प में धारा 323/149, 506बी, 324 (दो काउंट) बिकल्प में धारा 324/149 (दो काउंट) एवं 326 बिकल्प में धारा 326/149 भा.दं.वि का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। आरोपीगण एवं फरियादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को धारा 294, 323 विकल्प में धारा 323/149, 506बी भा.द. वि के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपीगण के विरूद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:—

- 1. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 25.12.2014 के 10:50 बजे ग्राम अन्नायच में फरियादी के मकान के सामने थाना गोहद में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जिसका समान्य उद्देश्य आहतगण सिरनाम, गुलाबसिंह, महेन्द्रसिंह, रामकृष्ण पर वल व हिंसा प्रयोग करने का था इस प्रकार उनके साथ मारपीट कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
- 2. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए घातक आयुध फर्सा, कुल्हाडी, लाठियों से सुसज्जित होकर जिनको कि आकामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने से मुत्यु कारित होना संभाव्य है उनसे सुसज्जित होकर आहतगण पर वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
- 3. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत महेन्द्र को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की?

### बिकल्प

क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण रामस्वरूप, बीरिसंह, राजेन्द्र बलवीर, फूलिसंह के साथ मिलकर आहत महेन्द्र को मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया जिसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आरोपीगण में से किसी ने आहत महेन्द्र को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की?

4. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत सिरनाम एवं गुलाबसिंह को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

# बिकल्प

क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहअरोपीगण के साथ मिलकर आहत सिरनाम एवं गुलाबसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्ररण में कार्य करते हुए धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया उपहित कारित की।

#### -: सकारण निष्कर्ष:-

- 07. साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं सुगमता को देखते हुए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. घटना के फरियादी सिरनाम अ0सा0 1 अभियोजन प्रकरण जिस प्रकार से होना बताया गया है उसका कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी के द्वारा मात्र यह बताया गया है कि घटना दिनांक को उसका और उसके परिवार के लोगों का आरोपीगण से मुंहबाद होना बताया है और इस दौरान धक्कामुक्की होना और जमीन पर गिरने से उसे और गुलाबसिंह व महेन्द्र और रामिकशन को चोटें आना बताया है। घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा प्र.पी. 1 अनुसार लेखबद्ध कराना एवं पुलिस के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया जाना बताया है। उक्त साक्षी पक्षद्रोही रहा है, उसके कथनों से अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं होता है।
- 09. घटना के अन्य आहत गुलाब अ०सा० 2 एवं महेन्द्र अ०सा० 3 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त दोनों आहत साक्षी भी पक्षद्रोही रहे है। अन्य साक्षी रामकिशन अ०सा० 4, कमलेश अ०सा० 5 भी पक्षद्रोही रहे है और उनके कथन में भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है।
- 10. उपरोक्त संबंध में यद्यपि चिकित्सक डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ०सा० ७ ने अपने साक्ष्य कथन में आहत सरनाम, गुलाबिसंह, महेन्द्र को धारदार हथियार से चोटें आना और उन्हें कटा हुआ घाँव पाया जाने के संबंध में बताया है और इस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 13, 14 व 15 होना बताया है, किन्तु घटना के फरियादी सरनाम व अन्य आहत गुलाबिसंह व महेन्द्र के द्वारा आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उनके साथ किसी प्रकार से कोई मारपीट करने या कोई घटना कारित किये जाने का कोई भी तथ्य साक्ष्य में नहीं आया है। घटना के अन्य साक्षी रामिकशन अ०सा० ४, कमलेश अ०सा० ५ के कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

- 11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबिक आरोपीगण या किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद होने व उनके द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होते हुए और इस दौरान उनकेद्वारा कोई बल अथवा हिंसा का प्रयोग करने या आहत महेन्द्र, सरनाम और गुलाब को किसी प्रकार से कोई उपहित कारित कने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे कि उक्त आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जा सके। इस बिन्दु पर मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक / विवेचनाधिकारी हिम्मत्तिसंह अ०सा० 6 के कथन के आधार पर एवं चिकित्सक डॉ० जी. आर.शाक्य अ०सा० 7 जिन्होंने कि आहतों के शरीर पर चोटें पाये जाने के संबंध में बताया है, लेकिन मात्र इस आधार पर आरोपीगण को अपराध में संलग्न होने मानते हुए उन्हें दोषसिद्ध ठहराए जाने का आधार नहीं हो सकता है।
- 12. विचारोपरांत अभियोजन प्रकरण में आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने लायक कोई साक्ष्य विद्यमान न होने से आरोपीगण को धारा 147, 148, 326 बिकल्प में धारा 326/149, 324(दो काउंट) विकल्प में धारा 324/149(दो काउंट) भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

याल) (डी०सी०थपलियाल) धीश अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड